

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 22-04-2025

विषय सूची

हिंदु कुश हिमालय हिमपात अद्यतन

17वाँ सिविल सेवा दिवस

सोशल मीडिया पर सेंसरशिप

भारत में कूज पर्यटन

भारत का पहला फास्ट-ब्रीडर परमाणु रिएक्टर 2026 तक चालू हो जाएगा

संक्षिप्त समाचार

यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियोपार्क जोड़े

कोकबोरोक भाषा

भारतनेट

अनुच्छेद 355

इंडोनेशिया-चीन समुद्री सहयोग

दुर्लभ भू-तत्त्व (REE)

RBI ने डिजिटल जमा पर 2.5% अतिरिक्त रन-ऑफ फैक्टर अनिवार्य किया

SPADEx मिशन: दूसरे डॉकिंग का प्रदर्शन

बुल्सआई गैलेक्सी: नौ छल्लों वाली गैलेक्सी

पोप फ्रांसिस

हिंदु कुश हिमालय हिमपात अद्यतन

संदर्भ:

- इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, हिंदुकुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में 2025 में निरंतर तीसरे वर्ष सामान्य से कम हिमपात दर्ज किया गया।

खोज:

- रिपोर्ट ने 23 वर्षों के समय शृंखला (2003 से 2025 तक) का उपयोग करके, नवंबर से मार्च के बीच हिम सत्र के दौरान नदी बेसिन में हिम के टिकने की अवधि का अध्ययन किया।
- तीनों प्रमुख नदी बेसिन—गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र—हिम के स्थायित्व की अवधि में शृंखलापूर्ण गिरावट का अनुभव कर रहे हैं।
- हिंदुकुश हिमालय (HKH) में हिम के स्थायित्व की अवधि दो दशक के न्यूनतम स्तर 23.6% पर आ गई।
 - गंगा बेसिन में हिम के टिकने की अवधि सामान्य से 24.1% कम रही, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम थी।
 - सिंधु बेसिन में यह गिरावट 24.5% रही, जबकि 2020 में यह 19.5% अधिक थी।
- रिपोर्ट में दक्षिण-पूर्व एशिया के मेकोंग (51.9%), साल्वीन (48.3%) और तिब्बती पठार (29.1%) नदी बेसिन में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
- मौसमी हिम पिघलने की कमी का तात्पर्य है कि नदी प्रवाह कम होगा और गर्मियों की शुरुआत में जल की कमी विशेष रूप से निचले क्षेत्रों में महसूस होगी।

सिफारिशें:

- जल प्रबंधन में सुधार
- सूखे की तैयारी को मजबूत बनाना
- बेहतर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली
- क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि दीर्घकालिक स्थिरता विज्ञान-आधारित, भविष्यसूचक नीतियों को अपनाने और मौसमी जल संग्रहण, हिम के पिघले जल का कुशल उपयोग, तथा समग्र जल प्रबंधन रणनीतियों में निवेश पर निर्भर करेगी।

हिम का स्थायित्व (Snow Persistence):

- हिम का स्थायित्व वह समय-अवधि है, जब तक कि हिम भूमि पर उपस्थित रहता है।
- जब यह हिम पिघलता है, तो यह लोगों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए जल उपलब्ध कराता है।
- हिंदुकुश हिमालय के नदी बेसिनों में हिम के पिघलने से प्राप्त जल सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
- यह पूरे क्षेत्र की 12 प्रमुख नदी बेसिनों में हर वर्ष 23% जल प्रवाह में योगदान देता है।

हिंदुकुश हिमालय (HKH):

- HKH पर्वत लगभग 3,500 किमी तक फैले हुए हैं और आठ देशों में विस्तारित हैं—अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान।
 - इन पर्वतों को “एशिया के जल टावर” भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से महाद्वीप की 10 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियाँ निकलती हैं—अमू दरिया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्वीन, मेकोंग, यांग्त्से, पीली नदी और तारिमा।
 - इन नदी बेसिनों से विश्व की लगभग एक चौथाई जनसंख्या को जल प्राप्त होता है और HKH क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्वच्छ जल का स्रोत है।

ICIMOD के बारे में

- यह हिंदु कुश हिमालय (HKH) के लोगों की ओर से कार्य करने वाला एक अंतर-सरकारी ज्ञान और शिक्षण केंद्र है।
- इसकी स्थापना 1983 में हुई थी।
- यह काठमांडू, नेपाल में स्थित है और आठ क्षेत्रीय सदस्य देशों - अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में कार्य करता है।
- गतिविधियों में व्यावहारिक अनुसंधान और समाधानों के परीक्षण से लेकर सरकारों के साथ नीति कार्यान्वयन और वैश्विक मंच पर पर्वतों के लिए समर्थन तक शामिल है।

आगे की राह

- दीर्घावधि में देशी वृक्ष प्रजातियों के साथ पुनर्वनीकरण से भूमि पर ज्यादा बर्फ जमा हो सकती है।

- बेहतर मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थानीय समुदायों को आसन्न जल संकट के लिए तैयार होने में भी सहायता कर सकती है।
- जल अवसंरचना में सुधार और बर्फबारी वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नीतियाँ विकसित करना दीर्घावधि परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है।
- स्थानीय, राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में समुदायों की भागीदारी बर्फ की स्थिरता के लिए व्यापक समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: DTE

17वाँ सिविल सेवा दिवस

संदर्भ

- भारत के प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित किया।

सिविल सेवा दिवस

- सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है।
- यह दिन 1947 में उस दिन के स्मरण में मनाया जाता है जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने मेटकाफ हाउस, नई दिल्ली में सिविल सेवकों के प्रथम बैठक को संबोधित किया था।
- उन्होंने सिविल सेवकों को “भारत का स्टील फ्रेम” कहा था और एकता एवं अखंडता बनाए रखने में उनकी भूमिका पर बल दिया था।

भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास

- लॉर्ड कॉर्नवालिस को ‘भारत में सिविल सेवाओं का जनक’ माना जाता है।
- लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल सेवाओं के लिए युवा भर्तियों को शिक्षित करने के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की।
 - लेकिन कंपनी के निदेशकों ने 1806 में इसे इंग्लैंड के हैलीबरी में अपने स्वयं के ईस्ट इंडियन कॉलेज से बदल दिया।
- 1853 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक सिविल सेवकों की नियुक्ति करते थे।

- बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को कुछ नामांकन करने की अनुमति थी।
- 1853 के चार्टर एक्ट ने संरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया और खुली प्रतियोगी परीक्षाएँ प्रारंभ कीं।
- भारतीय सिविल सेवा (ICS) के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षाएँ 1855 में लंदन में आयोजित की गईं।
- सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में ICS पास करने वाले प्रथम भारतीय थे।

शासन में सिविल सेवाओं की भूमिका

- **सेवा वितरण:** वे कल्याणकारी योजनाओं के प्रशासन और सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक सेवाएँ लक्षित लाभार्थियों तक, विशेष रूप से अंतिम बिंदु तक, पहुँचें।
- **कानून और व्यवस्था बनाए रखना:** सिविल सेवाएँ कानून के शासन को बनाए रखते हुए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय कर शांति, न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

सिविल सेवाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **रैड-टैपिज़्म:** अत्यधिक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ निर्णय लेने में देरी करती हैं और समय पर सेवा वितरण में बाधा डालती हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ:** उच्च दबाव वाले कार्य वातावरण और लंबे कार्य घंटे सिविल सेवकों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- **नवाचार के प्रति प्रतिरोध:** कठोर प्रशासनिक संस्कृति प्रयोग और नई प्रथाओं को अपनाने को हतोत्साहित करती है।
- **पुराने नियम और प्रक्रियाएँ:** कई सेवा नियम ब्रिटिश काल के हैं, जो आधुनिक शासन की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 309:** संसद और राज्य विधानसभाओं को भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 310:** संघ और राज्यों के सिविल सेवकों को राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करने का प्रावधान करता है।

- **अनुच्छेद 311:** सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 312:** भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFoS) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।
- **अनुच्छेद 315 से 323:** भारतीय संविधान संघ (UPSC) और प्रत्येक राज्य (SPSC) के लिए लोक सेवा आयोगों (PSC) की स्थापना करता है।

ब्यूरोक्रेसी की दक्षता बढ़ाने के लिए शासन सुधार

- **मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय कार्यक्रम:** यह भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 2020 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य सिविल सेवाओं को 'नियम आधारित' से 'भूमिका आधारित' और नागरिक केंद्रित कार्यप्रणाली में बदलना है। मिशन कर्मयोगी के छह स्तंभ हैं—
 - नीति ढाँचा
 - संस्थागत ढाँचा
 - दक्षता ढाँचा
 - डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क (iGOT-Karmayogi प्लेटफॉर्म)
 - इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (e-HRMS)
 - निगरानी और मूल्यांकन ढाँचा
- **सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry):** प्रशासन में क्षेत्रीय विशेषज्ञता लाने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए।
- **ई-गवर्नेंस पहल:** शिकायत निवारण के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (SPARROW), प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए स्पैरो और सेवा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण।

निष्कर्ष

- सिविल सेवक भारत की वृद्धि और शासन के मार्ग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हें अक्सर 'विकसित भारत' के वास्तुकार कहा जाता है।
- **पंच प्रण**—विकसित भारत के प्रति प्रतिबद्धता, औपनिवेशिक मानसिकता का त्याग, विरासत पर गर्व,

एकता, और कर्तव्य भावना—को अपनाकर सिविल सेवक एक समृद्ध, सशक्त, एवं आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं।

Source: PIB

सोशल मीडिया पर सेंसरशिप

संदर्भ

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के नेतृत्व वाले सहयोग पोर्टल के अंतर्गत, सरकार ने विगत 6 महीनों में गूगल, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को 130 कंटेंट नोटिस जारी किए हैं।

परिचय

- ये नोटिस प्रभावी रूप से कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर के रूप में कार्य करते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(B) के अंतर्गत भेजे जाते हैं।
- ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(A) के दायरे से बाहर हैं, जिसका इस्तेमाल सामान्यतः ऑनलाइन सेंसरशिप आदेश जारी करने के लिए किया जाता है।
- आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(B) के अनुसार, ऑनलाइन मध्यस्थ अपनी सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा खो सकते हैं यदि वे किसी "उपयुक्त" सरकारी एजेंसी द्वारा चिह्नित सामग्री तक पहुँच को अवरुद्ध करने में विफल रहते हैं।
- सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करती है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

- यह देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए 2020 में प्रारंभ की गई गृह मंत्रालय की एक पहल है।
- I4C नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना सम्मिलित है।

कानूनी ढाँचा: धारा 69A बनाम धारा 79(3)(B)

- **आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69A:** यह धारा सरकार को कुछ परिस्थितियों में इंटरनेट पर सामग्री तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या उकसावे को रोकने के लिए चिंताएँ।
 - इसमें श्रेया सिंघल मामले (2015) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
 - सामग्री को अवरुद्ध करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने वाला एक तर्कसंगत आदेश।
 - प्रभावित व्यक्ति या संस्था को आदेश को चुनौती देने का अवसर मिलना चाहिए।
- **आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(B):** यह धारा तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए मध्यस्थों (जैसे एक्स कॉर्प जैसे प्लेटफॉर्म) की देयता से संबंधित है।
 - यह प्लेटफॉर्म को अवैध सामग्री के लिए देयता से छूट देता है जब तक कि वे सरकार द्वारा अधिसूचित होने पर उस सामग्री तक पहुँच को हटाने या अक्षम करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने में विफल न हों।
 - मध्यस्थों का तर्क है कि इस प्रावधान का उपयोग सीधे सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उस उद्देश्य के लिए अभिप्रेत नहीं है।

सहयोग पोर्टल

- इसे गृह मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था।
- पोर्टल विभिन्न स्तरों पर सरकारी एजेंसियों के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है - मंत्रालयों से लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशनों तक - अधिक कुशलता से अवरोधन आदेश जारी करने के लिए।

डिजिटल सामग्री सेंसरशिप

- डिजिटल कंटेंट सेंसरशिप का तात्पर्य है सरकार, संगठन या अन्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण। इसमें शामिल हैं:
 - वेबसाइट और ऐप को ब्लॉक करना
 - सोशल मीडिया कंटेंट को हटाना
 - OTT (ओवर-द-टॉप) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का विनियमन
 - डिजिटल समाचार और पत्रकारिता पर प्रतिबंध

भारत में डिजिटल सेंसरशिप को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)):** अनुच्छेद 19(2) के तहत शालीनता, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित उचित प्रतिबंधों के अधीन।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** धारा 69A सरकार को सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं के लिए ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है।
- **मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021:** सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार मीडिया को विनियमित करता है।
- **ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा स्व-विनियमन:** नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद जैसे स्व-नियामक ढाँचे का पालन करते हैं।
- **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड**, जिसे 1952 के सिनेमैटोग्राफिक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, भारत में फिल्मों को सेंसर करने के लिए जिम्मेदार है।

भारत में डिजिटल सेंसरशिप की चुनौतियाँ

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विनियमन में संतुलन:** अत्यधिक विनियमन रचनात्मकता को दबा सकता है, जबकि अपर्याप्त विनियमन हानिकारक सामग्री को फैला सकता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सामग्री मॉडरेशन और सेंसरशिप के निर्णयों में अक्सर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव होता है, जिससे दुरुपयोग की चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
- **अधिकार क्षेत्र संबंधी मुद्दे:** कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत के बाहर से संचालित होते हैं, जिससे प्रवर्तन मुश्किल हो जाता है।
- **तकनीकी प्रगति:** डिजिटल मीडिया का तेजी से विकास सुसंगत और निष्पक्ष विनियमन को जटिल बनाता है।
- **नैतिक चिंताएँ:** अश्लीलता कानूनों की व्यक्तिपरक प्रकृति मनमाने ढंग से सेंसरशिप को जन्म दे सकती है।

आगे की राह

- **स्वतंत्र विनियामक निकायों को मजबूत करना:** यह सुनिश्चित करना कि न्यायालय और तटस्थ संस्थाएँ सेंसरशिप निर्णयों की समीक्षा करना।
- **कंटेंट मॉडरेशन में पारदर्शिता बढ़ाना:** डिजिटल प्लेटफॉर्म को कंटेंट टेकडाउन पर समय-समय पर पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।
- **डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना:** प्रतिबंधात्मक सेंसरशिप लागू करने के बजाय नागरिकों को फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए शिक्षित करना।
- **नीति निर्माण में सार्वजनिक परामर्श:** डिजिटल कंटेंट विनियमन तैयार करने में पत्रकारों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज को शामिल करना।

Source: IE

भारत में क्रूज पर्यटन

संदर्भ

- भारत क्रूज पर्यटन की आर्थिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी विस्तृत तटरेखा और अंतर्देशीय जलमार्गों का लाभ उठा रहा है

क्रूज पर्यटन क्या है?

- क्रूज पर्यटन से तात्पर्य क्रूज जहाज पर अवकाश या मनोरंजन के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा से है, जहाँ यात्रा एवं जहाज की सुविधाएँ, मार्ग के विभिन्न गंतव्यों के साथ-साथ अनुभव का एक हिस्सा होती हैं।
- इसमें जहाज पर और जहाज से बाहर दोनों तरह की गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, जो पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए तैयार की जाती हैं।

क्रूज पर्यटन में भारत की संभावनाएँ

- भारत में तटीय और नदी क्षेत्र के लिए क्रूज पर्यटन की महत्वपूर्ण क्षमताएँ हैं। ऐसा निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है:
 - भारत के समुद्र तट पर 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाह,

- लगभग 400 नदियों को जोड़ने वाले 20000 किलोमीटर से अधिक लंबे नौगम्य 110 जलमार्गों का नेटवर्क,
- भारत में कई राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 1300 द्वीप हैं जो समुद्र तट के किनारे या राज्यों और अंतरराज्यीय नदियों या राष्ट्रीय जलमार्गों के किनारे स्थित हैं।

नदी क्रूज पर्यटन

- रिवर क्रूज पर्यटन अवकाश यात्रा का एक रूप है जो नदियों और अंतर्देशीय जलमार्गों पर क्रूज जहाजों का उपयोग करके किया जाता है।
- रिवर क्रूज पर्यटन की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं;
- **छोटी दूरी की यात्रा:** समुद्री क्रूज की तुलना में क्रूज कम दूरी तय करता है।
- **आंतरिक क्षेत्रों तक पहुँच:** यह नदियों के किनारे कस्बों, शहरों और गाँवों को जोड़ता है, प्रायः ऐसे क्षेत्र जो बड़े जहाजों द्वारा सुलभ नहीं होते हैं।
- **सांस्कृतिक विसर्जन:** पर्यटक स्थानीय परंपराओं, त्योहारों, वास्तुकला और व्यंजनों का अनुभव करते हैं।
- **उदाहरण:**

- 2023 में, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 3,200 किलोमीटर की यात्रा के लिए लॉन्च किया गया था।
- इसने पाँच भारतीय राज्यों और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार किया।
- केरल में अलाप्पुझा के बैकवाटर में हाउसबोट।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **क्रूज भारत मिशन:** 'क्रूज भारत मिशन' 2024 में मुंबई बंदरगाह से लॉन्च किया गया था।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पाँच वर्षों के अन्दर अर्थात् 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करके देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाना है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में, क्रूज यात्रियों की संख्या 4.71 लाख थी।

- **मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030:** भारत सरकार का विज़न भारत को समुद्री और नदी क्रूज दोनों के लिए वैश्विक क्रूज बाज़ार में एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता बनाना है।
- IWDC(अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की बैठक के उद्घाटन सत्र में 'रिवर क्रूज टूरिज़्म रोडमैप, 2047' लॉन्च किया गया।
 - यह रोडमैप चार स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचा, एकीकरण, पहुँच और नीति शामिल है।

निष्कर्ष

- भारत का क्रूज पर्यटन इसकी आर्थिक और सांस्कृतिक कथा का एक गतिशील हिस्सा बनने की ओर अग्रसर है।
- नदियों और समुद्र तटों के विस्तृत नेटवर्क और सरकार के नेतृत्व वाली दूरदर्शी योजनाओं के साथ देश वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र बनने के लिए अच्छी स्थिति में है।

Source: PIB

भारत का पहला फास्ट-ब्रीडर परमाणु रिएक्टर 2026 तक चालू हो जाएगा

समाचार में

- भारत का प्रथम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में विकसित किया जा रहा है।

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)

- यह एक ऐसी मशीन है जिसे अपनी खपत से अधिक परमाणु ईंधन का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लूटोनियम-239 (Pu-239) और यूरेनियम-238 (U-238) का उपयोग किया जाता है।

भारत का प्रथम फास्ट-ब्रीडर परमाणु रिएक्टर

- PFBR का विकास भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (भाविनी) द्वारा किया जा रहा है।
- इसकी क्षमता 500 मेगावाट होगी और परमाणु नियामक से मंजूरी मिलने के लगभग दो वर्ष बाद 2025-26 में इसके चालू होने की संभावना है। यह भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण है।

कार्य

- यह भारत के दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों (PHWR) से खर्च किए गए ईंधन को पुनः चक्रित करेगा, जिससे रेडियोधर्मी अपशिष्ट में कमी आएगी।
- यह परमाणु चक्र के तीसरे चरण में थोरियम-आधारित रिएक्टरों में परिवर्तन को भी सक्षम करेगा।
- यह ईंधन के रूप में प्लूटोनियम-आधारित मिश्रित ऑक्साइड और शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करेगा।

महत्व

- यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक है क्योंकि यह भविष्य के थोरियम-आधारित रिएक्टरों के लिए प्रयुक्त ईंधन उपलब्ध कराएगा।
- यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट की सूची को कम करने और बंद ईंधन चक्र की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को आगे बढ़ाएगा, विशेष रूप से ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए थोरियम का उपयोग करने में।

क्या आप जानते हैं?

- भारत का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट विद्युत का उत्पादन करना है।
- भारत में वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.18 गीगावाट है, तथा 7.30 गीगावाट अतिरिक्त निर्माणाधीन/कमीशनिंग के अधीन है।
- वर्ष 2031-32 तक कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता 22.48 गीगावाट तक पहुँचने की संभावना है।
- भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड विदेशी सहयोग से स्वदेशी पीएचडब्ल्यूआर से 15.40 गीगावाट तथा लाइट वाटर रिएक्टरों से 17.60 गीगावाट जोड़ने की योजना बना रहा है।
- भाविनी का लक्ष्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के माध्यम से 3.80 गीगावाट का योगदान करना है।
- शेष क्षमता छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, भारत छोटे रिएक्टरों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से अन्य उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों से आएगी।

निष्कर्ष और आगे की राह

- विलंब के बावजूद, PFBR भारत की परमाणु ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का एक शृंखलापूर्ण हिस्सा है और यह भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को आगे बढ़ाएगा, विशेष रूप से ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए थोरियम का उपयोग करने में।

Source :BL

संक्षिप्त समाचार

यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियोपार्क जोड़े

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने अपने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में 11 देशों के 16 नए स्थलों को जोड़ा।

परिचय

- नए शामिल किए गए जियोपार्क चीन, उत्तर कोरिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, स्पेन, यूके और वियतनाम में स्थित हैं।
- नई प्रविष्टियों के साथ, नेटवर्क में अब 50 देशों में 229 साइटें सम्मिलित हैं, जो सामूहिक रूप से लगभग 855,000 वर्ग किमी में फैली हुई हैं।

यूनेस्को वैश्विक जियोपार्क क्या हैं?

- यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क, अपनी समृद्ध भूवैज्ञानिक विरासत, चट्टान संरचनाओं, पर्वत या ज्वालामुखीय शृंखलाओं, गुफाओं, घाटियों, जीवाश्म स्थलों या प्राचीन रेगिस्तानी परिदृश्यों के लिए पहचाने जाने वाले क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जो हमारे ग्रह के इतिहास, विकास और जलवायु के साक्षी हैं।
- **स्थापना:** ग्लोबल जियोपार्क पदनाम 2015 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था।

भारत और वैश्विक जियोपार्क

- **वर्तमान स्थिति:** भारत में अभी तक यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क के रूप में नामित कोई भी स्थल नहीं है।

• संभावित स्थल (विचाराधीन):

- **लोनार क्रेटर (महाराष्ट्र):** एक उल्कापिंड द्वारा निर्मित प्रभाव क्रेटर।
- **सेंट मैरी द्वीप (कर्नाटक):** स्तंभाकार बेसाल्टिक लावा गठन।
- **शिवालिक जीवाश्म पार्क (हिमाचल प्रदेश):** जीवाश्म विज्ञान संबंधी शृंखला।

Source: IE

कोकबोरोक भाषा

संदर्भ

- स्वदेशी भाषाई संगठन कोकबोरोक साहित्य परिषद ने कोकबोरोक भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थानीय लिपि, अधिमानतः देवनागरी या बंगाली लिपि के साथ शामिल करने की माँग की है।

कोकबोरोक के बारे में

- कोकबोरोक बोरोक लोगों की भाषा है और इसे 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- अन्य आधिकारिक भाषाएँ बंगाली और अंग्रेजी हैं।
- कोकबोरोक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कोक जिसका अर्थ है “भाषा” और बोरोक का अर्थ है “मनुष्य”।
- इस प्रकार कोकबोरोक का अर्थ है “मनुष्य की भाषा” या “बोरोक लोगों की भाषा”।
- यह बोली तिब्बती-बर्मी भाषा समूह से संबंधित है और इसकी जड़ें सिनो-तिब्बती भाषा परिवार में पाई जा सकती हैं।
- यह बोडो भाषा और पड़ोसी राज्य असम की डिमासा भाषा से निकटता से संबंधित है।
- कोकबोरोक बोली की अपनी कोई लिपि नहीं है और इसे देवनागरी, बंगाली एवं रोमन लिपियों में लिखा जाता है।

Source: IE

भारतनेट

संदर्भ

- भारत में, भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2.18 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है (19 मार्च तक)।

भारतनेट क्या है?

- भारत सरकार ने संचार मंत्रालय के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में भारतनेट लॉन्च किया।
- यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश की हर ग्राम पंचायत को सस्ती हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करना है।
- भारतनेट विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है।

संशोधित भारतनेट 2023

- 2023 में, सरकार ने 1,39,579 करोड़ रुपये की लागत से संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी।
- कार्यक्रम रिंग टोपोलॉजी में 2.64 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी द्वारा इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है और माँग के आधार पर शेष गैर-ग्रामीण गाँवों (लगभग 3.8 लाख) को कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

एबीपी का लक्ष्य है:

- माँग के आधार पर गैर-जीपी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का प्रावधान,
- केंद्रीकृत नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर के माध्यम से नेटवर्क अपटाइम की निगरानी और सेवा स्तर समझौते के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान सहित 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव का प्रावधान,
- जीपी और ब्लॉकों में पर्याप्त स्तर के पावर बैकअप का प्रावधान,
- फाइबर निगरानी के लिए ब्लॉक में रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रावधान।

भारतनेट की कार्यप्रणाली

- परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2012 में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया था।
- 2016 में, दूरसंचार आयोग ने परियोजना को तीन चरणों में लागू करने की मंजूरी दी:
- चरण I:** मौजूदा बुनियादी ढाँचे का उपयोग करके 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- चरण II:** ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो और सैटेलाइट तकनीकों का उपयोग करके अतिरिक्त 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक कवरेज का विस्तार किया गया।
- चरण III:** 5G तकनीकों को एकीकृत करके, बैंडविड्थ क्षमता बढ़ाकर और मजबूत अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करने का लक्ष्य। यह चरण चल रहा है, जिसमें पहुँच और विश्वसनीयता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

Source: IE

अनुच्छेद 355

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने की याचिका पर सुनवाई की।
- यह भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधानों का एक भाग है।
- अनुच्छेद 355 के अनुसार “संघ का कर्तव्य प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले”।
- इसका उपयोग निम्नलिखित घटनाओं के दौरान किया जाता है:
 - किसी राज्य में कानून और व्यवस्था का टूटना।
 - किसी राज्य के अन्दर देश की संप्रभुता या एकता को खतरा।
 - सांप्रदायिक दंगे या विद्रोह।

Source: TH

इंडोनेशिया-चीन समुद्री सहयोग

संदर्भ

- नाटुना द्वीप के निकट चीनी गतिविधियों को लेकर चल रहे तनाव के बीच इंडोनेशिया और चीन ने समुद्री सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है।

दक्षिण चीन सागर

- यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है।
- यह दक्षिणी चीन, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया के बीच स्थित है।
- यह प्रशांत एवं हिंद महासागरों के बीच शिपिंग के लिए एक शृंखलापूर्ण समुद्री प्रवेश द्वार और जंक्शन है।

दक्षिण चीन सागर में विवाद

- चीन, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सदियों से विवादित दक्षिण चीन सागर क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है।
- **विवाद के दो मुख्य बिंदु हैं:** समुद्र में स्प्रेटली द्वीप और पैरासेल द्वीप।
- **नाइन-डैश लाइन:** चीन इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है और इस दावे के केंद्र में यू-आकार की 'नौ-डैश लाइन' है, जिसमें इन जल क्षेत्रों का 90 प्रतिशत भाग शामिल है।
- इस बिंदीदार रेखा को 1940 के दशक में चीनी मानचित्रों से अपनाया गया था, और यह समुद्र और रेखा के अन्दर उपस्थित सभी भूमि सुविधाओं पर बीजिंग के दावे का प्रतिनिधित्व करती है।

नटुना द्वीप

- नटुना द्वीप, जिसे बुंगुरान द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, नटुना द्वीपसमूह द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जो इंडोनेशिया के रियाउ द्वीप प्रांत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है।
- **स्थान:** यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है और प्रायद्वीपीय मलेशिया और बोर्नियो द्वीप के बीच लगभग आधे रास्ते में स्थित है।

- **स्थलाकृति:** इस द्वीप में माउंट रानई है, जो इसका सबसे ऊंचा बिंदु है, जो समुद्र तल से 1,035 मीटर ऊपर है।

Source: TOI

दुर्लभ भू-तत्त्व (REE)

संदर्भ

- अमेरिका-चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के बीच, चीनी अधिकारियों ने कथित तौर पर **दुर्लभ भू-तत्त्वों (REE)** और चुम्बकों पर निर्यात नियंत्रण लगा दिया है।

परिचय

- दुर्लभ भू-तत्त्व सत्रह पदार्थों की एक शृंखला है जो पृथ्वी के क्रस्ट में उपस्थित हैं।
- नाम से पता चलता है कि दुर्लभ भू-तत्त्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी दुर्लभता उन्हें रासायनिक रूप से अलग करने और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग करने योग्य बनाने की क्षमता से आती है।
- नियोडिमियम, डिस्प्रेसियम, प्रेजोडियम और यिट्रियम जैसी दुर्लभ मृदा धातुओं की मांग तकनीकी प्रगति के साथ-साथ बढ़ रही है।
- भारी और हल्के दुर्लभ भू-तत्त्व भारत, चीन, म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया जैसे कई देशों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं।
- चीन विश्व में दुर्लभ भू-तत्त्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद अमेरिका का स्थान है।

शृंखला

- इनका उपयोग सेलफोन और कंप्यूटर जैसी रोजमर्रा की तकनीकों में किया जाता है।
- इनका उपयोग MRI, लेजर स्केलपेल और यहां तक कि कुछ कैंसर दवाओं जैसी उन्नत चिकित्सा तकनीकों में भी किया जाता है।
- रक्षा अनुप्रयोगों में, इनका उपयोग उपग्रह संचार, मार्गदर्शन प्रणाली और विमान संरचनाओं में किया जाता है।

- वे अनेक हरित प्रौद्योगिकियों में शृंखलापूर्ण हैं, विशेष रूप से वे जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों का समर्थन करने जा रही हैं, जैसे पवन टर्बाइन और इलेक्ट्रिक वाहना।

Source: TH

RBI ने डिजिटल जमा पर 2.5% अतिरिक्त रन-ऑफ फैक्टर अनिवार्य किया

समाचार में

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए तरलता कवरेज अनुपात मानदंडों को आसान कर दिया है, जिससे डिजिटल जमा के लिए अतिरिक्त रन-ऑफ फैक्टर कम हो गया है।

तरलता कवरेज अनुपात

- यह बेसल III सुधारों का एक अनिवार्य घटक है, जो बैंक पूँजी पर्याप्तता और तरलता पर वैश्विक विनियामक मानक हैं, जिनका समर्थन G20 नेताओं द्वारा किया गया है।
- यह सुनिश्चित करता है कि बैंक 30 दिनों की निकासी और दायित्वों को कवर करने के लिए पर्याप्त आसानी से बिकने योग्य संपत्ति बनाए रखें।
- यह एक वित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, बैंकों को अचानक बाजार में व्यवधान या ग्राहक घबराहट को बिना रुके प्रबंधित करने में सक्षम बनाकर जमाकर्ताओं की रक्षा करता है।

उद्देश्य

- इन परिवर्तनों का उद्देश्य बैंकों की तरलता लचीलापन में सुधार करना, भारत के नियमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना और प्रणाली में गैर-विघटनकारी वृद्धि प्रदान करना है।

क्या आप जानते हैं?

- रन-ऑफ फैक्टर जमाराशि का वह प्रतिशत दर्शाता है जिसे जमाकर्ता तनाव की स्थिति में निकाल सकते हैं।
- इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से तात्पर्य इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सेवाओं से है, जो ग्राहकों को अपने खातों से डिजिटल रूप से धनराशि स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं।

Source :IE

SPADEX मिशन: दूसरे डॉकिंग का प्रदर्शन

In News

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (स्पाडेक्स) मिशन के तहत दो उपग्रहों, SDX01(चेजर) और SDX02 (टारगेट) की दूसरी डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

क्या आप जानते हैं?

- डॉकिंग दो तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में लाने की प्रक्रिया है, फिर उन्हें मैनुअल रूप से या स्वायत्त रूप से एक साथ लाकर जोड़ा जाता है।
- यह क्षमता उन मिशनों के लिए जरूरी है, जिनमें बड़े अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होती है, जिन्हें एक लॉन्च वाहन नहीं ले जा सकता।
- यह स्पेस स्टेशन के निर्माण और स्टेशन तक चालक दल और आपूर्ति के परिवहन के लिए शृंखलापूर्ण है।

SPADEX मिशन

- PSLV-C60 / SpaDeX मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था।
- यह ISRO द्वारा एक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकर्ता है, जो PSLV द्वारा लॉन्च किए गए दो छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन करता है।
- पहली डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को हुई थी, और पहली अनडॉकिंग 13 मार्च 2025 को हुई थी।
- अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष यान डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक करने वाला चौथा देश बन गया है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना और उसका प्रदर्शन करना है।
- इसका उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों का समर्थन करना है, जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजना, चंद्रमा के नमूने वापस लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना।

- यह डॉक किए गए अंतरिक्ष यान के बीच विद्युत शक्ति के हस्तांतरण का भी प्रदर्शन करेगा, जो अंतरिक्ष में रोबोटिक्स, अंतरिक्ष यान नियंत्रण और पेलोड संचालन जैसे भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए शृंखलापूर्ण है।

Source :TH

बुल्सआई गैलेक्सी: नौ छल्लों वाली गैलेक्सी

समाचार में

- शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में हबल अंतरिक्ष दूरबीन का उपयोग करके बुल्सआई गैलेक्सी (LEDA 1313424) की खोज की।

बुल्सआई गैलेक्सी के बारे में

- यह मिल्की वे के आकार का लगभग 2.5 गुना है और भविष्य में एक विशाल कम सतह चमक आकाशगंगा में विकसित हो सकता है।
- इसमें नौ छल्ले हैं, जो आकाशगंगाओं के लिए एक दुर्लभ विशेषता है और माना जाता है कि यह अद्वितीय संरचना 50 मिलियन वर्ष पहले एक नीली बौनी आकाशगंगा के इसके माध्यम से गुजरने के बाद बनी थी, जिससे गैस की लहरें बनीं जिससे छल्लों का निर्माण हुआ।
- बुल्सआई गैलेक्सी की वर्तमान रिंग संरचना एक संक्रमणकालीन चरण हो सकती है, और अरबों वर्षों में, ये छल्ले फीके पड़ सकते हैं, जिससे एक जीएलएसबी आकाशगंगा पीछे रह सकती है।

क्या आप जानते हैं ?

- विशाल निम्न सतह-चमक आकाशगंगाएँ, जैसे कि मालिन 1, विशाल सर्पिल आकाशगंगाएँ हैं जिनमें फैले हुए तारकीय डिस्क और बड़ी हाइड्रोजन गैस डिस्क हैं।
- उनके केंद्रों में सामान्य से कम ब्लैक होल मास भी होता है।
- उनकी असामान्य विशेषताएँ हैं, जैसे कि तेज़ डार्क मैटर हेलो रोटेशन, जो उनके विस्तृत, कम घनत्व वाले डिस्क की व्याख्या कर सकता है।

Source :TH

पोप फ्रांसिस

संदर्भ

- रोमन कैथोलिक चर्च के नेता पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है और भारत ने उनके सम्मान में तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है।

परिचय

- पोप फ्रांसिस 266वें पोप थे, जिनकी वंशावली 30 ई. में सेंट पीटर से प्रारंभ हुई थी।
- उन्होंने 2013 में पोप बेनेडिक्ट XVI से पदभार ग्रहण करते हुए पोप का पद संभाला था।
- पोप फ्रांसिस एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय में पहले गैर-यूरोपीय पोप और प्रथम लैटिन अमेरिकी पोप थे।

पोप का कार्यालय

- ईसाई धर्म में तीन मुख्य शाखाएँ हैं - कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और (पूर्वी) रूढ़िवादी।
- और उनमें से, पोप रोमन कैथोलिकों के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं।
- पोपसी चर्च और वेटिकन सिटी के केंद्रीय शासी निकाय, होली सी की देखरेख करता है।
- पोप की मछुआरे की अंगूठी, जिस पर उनके पोपत्व की मुहर लगी होती है, को उनके शासन के अंत का प्रतीक बनाने के लिए तोड़ दिया जाता है।

पोप का चुनाव

- विश्व भर में चर्च के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, कार्डिनल्स का कॉलेज पोप का चुनाव करता है।
- 15-20 दिनों के अन्दर, 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल विश्व भर से पोप कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए आते हैं, जो उत्तराधिकारी निर्धारित करने के लिए गुप्त चुनाव प्रक्रिया है।
- चुने जाने के लिए उम्मीदवार को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना होगा।
- भारत में, चार कार्डिनल पोप कॉन्क्लेव में मतदान करने के पात्र हैं।

Source: IE